### सैकड़ों करोड़ रुपये चीन भेजने का आरोप, एसटीएफ ने चार्टर्ड एकाउंटेंट को भी पकड़ा

# हवाला के जरिये रकम भेजने वाले चीनी नागरिक समेत तीन दबोचे

**कार्रवाई**

**10** शेल कंपनियां बनाकर धनशोधन कर रहे थे गिरफ्तार किए गए आरोपी

**50** करोड़ रुपये से अधिक अवतक की जांच में विदेश भेजे जाने का खुलासा

नोएडा एसटीएफ ने बुधवार देर रात चीन के नागरिक, एक चार्टर्ड एकाउंटेंट समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसका खुलासा गुरुवार को किया गया। ● हिन्दुस्तान

**नोएडा, विशेष संवाददाता।** नोएडा एसटीएफ ने फर्जी कंपनियों के माध्यम से देश से सैकड़ों करोड़ रुपये हवाला के जरिये विदेश भेजने वाले चीन के नागरिक और उसके सहयोगी एक सीए समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके द्वारा दस फर्जी कंपनियां बनाकर धन शोधन किया जा रहा था।

नोएडा में अवैध रूप से रह रहे चीनी नागरिक ने मिजोरम के पते पर अपना भारतीय आधार कार्ड भी फर्जी तरीके से बनवा लिया था। इस संबंध में एसटीएफ की ओर से केंद्रीय एजेंसियों को रिपोर्ट भेजी गई है। एसटीएफ के एएसपी आरके मिश्रा ने बताया कि नोएडा के सेक्टर-83 स्थित संदिग्ध कंपनी यूटीएल मैन्युफैक्चरिंग पीवीटी एलटीडी के संबंध में जानकारी मिली थी, जो एक चीनी नागरिक लियो लॉन्गहुई द्वारा संचालित की जा रही थी। चार्टर्ड एकाउंटेंट संजीव और कौशलेंद्र भी कंपनी चला रहे थे। एसटीएफ ने जब उनसे पूछताछ की और उनके ठिकानों की तलाशी ली तो इस पूरे गिरोह का खुलासा हुआ। इसके बाद उनकी बुधवार देर रात को गिरफ्तारी की गई। उनके द्वारा बनाई गई दस फर्जी कंपनियों का अब तक खुलासा हो चुका है। इसमें दो कंपनी हांगकांग, दो दिल्ली और छह गौतमबुद्ध नगर के पते पर पंजीकृत हैं। इनके माध्यम से 50 करोड़ से अधिक रुपये विदेश भेजे जा चुके हैं और अभी जांच जारी है। सैकड़ों करोड़ रुपये अवैध तरीके से चीन भेजने का अंदेशा है। जो फर्जी कंपनियां सामने आई हैं, उनमें जेएनएस इंफ्रा हाइट्स पीवीटी. एलटीडी. रिफान एंटरप्राइजेज इंडिया पीवीटी. एलटीडी., टिडीडेस्क एसोसियल पीवीटी. एलटीडी, जेड वन एंटरप्राइजेज आदि हैं। उसने अपने चालक देवेंद्र के नाम से भी हुनराज ट्रेडिंग सोल्यूशन पीवीटी. एलटीडी नामक शेल कंपनी बनाई। इसके अतिरिक्त कई अन्य फर्जी कंपनियां जैसे उपमेक्स इंडिया पीवीटी.एलटीडी. मेजटेक पावर इंडिया पीवीटी. एलटीडी., एक्सीलेंस मोबाइल टेक इंडिया पीवीटी. एलटीडी. और हांगकांग में रजिस्टर्ड हक हैंको कम्युनिकेशन ट्रेडिंग को. व हक इंचियो लिमिटेड का भी पता चला है।

**वीजा खत्म होने पर वापस नहीं लौटा :** चीनी नागरिक लॉन्गहुई वर्ष 2018 में भारत आया था और उसका 2020 में ही वीजा समाप्त हो गया। इसके बाद वह कभी लौटकर वापस चीन नहीं गया और उसने भारत में ही अपनी फर्जी कागज भी तैयार करा लिए। उसके घर से एसटीएफ को एक आधार कार्ड भी मिला है। चीनी नागरिक ने नागलैंड के कोहिमा के पते पर फर्जी तरीके से आधार बनवाया था और इसमें उसका नाम सैमुएल था।

**फर्जी आधार कार्ड भी बरामद :** चीनी नागरिक द्वारा बनवाया गया फर्जी आधार कार्ड, दो चीनी पासपोर्ट, दो पैन कार्ड, चार करोड़, 72 लाख 69 हजार रुपये के चेक, पांच लैपटॉप, नौ मोबाइल, एक टैब, दस कंपनियों की मुहरें, 11 चेक बुक बरामद हुए।

**तलाशी से मामला खुला:** एसटीएफ के एएसपी आरके मिश्रा ने बताया कि चीन के नागरिक को संदेह होने पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वह कागजात नहीं दिखा सका और फ्लैट पर होने की बात कही। फ्लैट में फर्जी कंपनियों के कागजात और संदेहास्पद चीजें मिलीं।

### 1400 करोड़ से अधिक की ठगी से तार जुड़े

एसटीएफ के इंस्पेक्टर सचिन कुमार ने बताया कि यह मामला वर्ष 2019 में हुए खुलासे से जुड़ा है। उस दौरान गिरफ्तार रवि उर्फ नटवरलाल इसकी कंपनी यूटीएल मैन्युफैक्चरिंग पीवीटी. एलटीडी में शेयर होल्डर रहा था। रवि सात साल से जेल में है। मामले के तार 1400 करोड़ से अधिक की ठगी से जुड़े हैं। लोन और गेमिंग ऐप के जरिए यह ठगी हुई थी। एसटीएफ चार साल से जांच में लगी है। अब तक 12 चीनी नागरिक समेत 24 दबोचे जा चुके हैं।

### ये आरोपी पकड़े गए

लियो लॉन्गहुई निवासी चीन। वह वर्तमान में पूर्वांचल सिटी सेक्टर-93 में रह रहा था। सीए संजीव कुमार निवासी 1902 प्रतीक ग्रैंड सिटी सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद। कौशलेंद्र निवासी ग्राम गोकलपुर थाना सराय शीश जनपद औरैया।

# यमुना सिटी में विकास के लिए 1500 करोड़ मिलेंगे

- जमीन खरीद, ढांचागत विकास पर खर्च होंगे
- शासन और प्राधिकरण के बीच सहमति बनी

**ग्रेटर नोएडा, प्रमुख संवाददाता।** नए सेक्टर बसाने के लिए जमीन खरीदने और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए यीडा को करीब 1500 करोड़ रुपये मिलेंगे। राज्य शासन से इसकी सहमति बन गई है।

यीडा के सीईओ आरके सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार से जिन उद्योगों को मंजूरी मिलती है, उन्हें 75 प्रतिशत छूट जमीन खरीद की दरों में दी जाती है। प्राधिकरण इस जमीन पर पहले ही अपना निवेश कर चुका है। ऐसे में इस अतिरिक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा अलग-अलग औद्योगिक नीतियों में की जाती है। इस सुविधा का उद्देश्य विदेशी और फॉर्च्यून कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे बेहतर औद्योगिक माहौल बनता है। प्रदेश सरकार दो किस्तों में 1253 करोड़ रुपये और 307 करोड़ रुपये प्राधिकरण को देगी। इस संबंध में पिछले दिनों हुई बातचीत के बाद प्रतिपूर्ति फंड का बजट जारी करने पर सहमति बनी है। इससे यमुना सिटी में विकास कार्य तेज होगा।

**जमीन की खरीद पूरी होगी:** गंगा-यमुना लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जमीन की खरीद का काम इसी महीने तक पूरा करने की तैयारी है। इसके लिए अवकाश के दिनों में भी बैनामे का काम हो रहा है।

# सीबीआई टीम जांच के लिए डीएलएफ सोसाइटी पहुंची

**गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता।** सीबीआई की टीम अनियमितता के आरोपों की जांच करने के लिए गुरुवार सुबह करीब नौ बजे डीएलएफ प्राइमस सोसाइटी पहुंची। करीब 11 घंटे चली जांच के दौरान कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। टीम रात करीब आठ बजे लौट गई।

सेक्टर-82ए स्थित डीएलएफ प्राइमस आरडब्ल्यूए के प्रधान अचल यादव ने बताया कि सोसाइटी में साल 2018 में फ्लैट का कब्जा मिला। आरडब्ल्यूए ने वर्ष 2022 में सोसाइटी को अपने अधीन लिया था। रखरखाव शुल्क के कुछ डिफाल्टर ने याचिका दायर की है। प्रत्येक डिफॉल्टर पर 27 लाख रुपये बकाया है। सीबीआई ने परियोजना में स्वीकृत मानकों के अनुसार हरित क्षेत्र का विकास, अतिक्रमण, वर्षा जल संचयन व अग्निशमन प्रणाली, पेयजल और बिजली आपूर्ति समेत अन्य व्यवस्था की जांच की और दस्तावेजों का सत्यापन किया। जांच के दौरान कुछ लोगों की याचिकाकर्ताओं के साथ बहस भी हुई।

**यह है मामला**

परियोजना के कुछ फ्लैट खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वादों के अनुसार सुविधाएं नहीं देने, स्थायी जल और बिजली कनेक्शन नहीं देने समेत अन्य आरोप लगाए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंप दी और विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी।

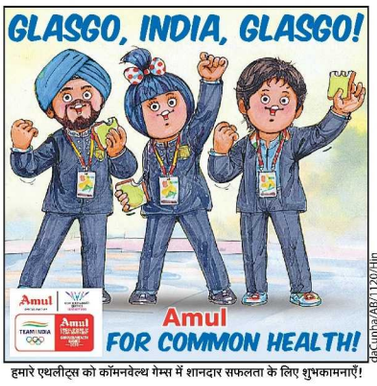


हमारे एथलीट्स को कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार सफलता के लिए शुभकामनाएँ!

## एनसीआर 30s

### सुपरटेक मामले में सुनवाई टली

**नई दिल्ली/नोएडा।** सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुपरटेक के ढहाए जा चुके ट्विन टावर में फ्लैट खरीदने वालों के रुपये वापस करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई तीन माह के लिए स्थगित कर दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को यह भी बताया गया कि खरीदारों के दावों को पूरा करने के लिए दूसरे विकल्पों पर विचार करने के लिए तीन माह का समय दिया जाए।

### ठगों के मददगार विदेशी समेत चार गिरफ्तार

**गुरुग्राम।** साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध कराने के आरोप में गुरुग्राम पुलिस ने एक विदेशी समेत चार लोगों को बुधवार को सिग्नेचर टावर के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी डोसीनिना एडरिस आइवरी कोस्ट का निवासी है और अभी दिल्ली में रह रहा था। अन्य तीन की पहचान बदायूं के राजकुमार, प्रतापगढ़ के सत्यम और बिहार के सुभाष कुमार के रूप में हुई। सुभाष ने सत्यम और राजकुमार के खाते खुलवाकर कमीशन पर डोसीनिना एडरिस को दिए।

### गर्भवती की मौत, ससुरालवालों पर केस दर्ज

**फरीदाबाद।** आठ माह की गर्भवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नई दिल्ली के गगन विहार में रहने वाले मृतका नमिता के पिता शिव नारायण कामत की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पिता के अनुसार, नमिता की शादी 20 नवंबर 2025 को ग्रीन फील्ड कॉलोनी निवासी रंजीत चौधरी से हुई थी। रंजीत दिल्ली केहोटल में सेफ है, जबकि ससुर विजय कांत चौधरी सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के चालक है।

### हिरासत में प्रताड़ना पर आयोग सख्त

**गुरुग्राम।** हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने सोहना अपराध शाखा में पुलिस हिरासत के दौरान एक आरोपी को यातना देने के आरोपों पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा ने पुलिस महानिदेशक को मामले की जांच आईजी या उससे ऊपर के अधिकारी से कराने और सबूतों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। पीड़ित नरेंद्र ने पुलिस पर 29 जून को पैर तोड़ने और बेहोश होने तक मारपीट करने का आरोप लगाया।

### थाने में मौत होने के मामले में न्यायिक जांच शुरू

**पलवल।** चोरी के मामले में पुलिस रिमांड पर चल रहे युवक सैफ की उटावड़ थाने की हवालात में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गुरुवार सुबह उसका शव फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही ग्रामीण थाना पहुंच गए। थाना परिसर और आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मृतक की मां सायरा ने याचिका पर मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है।

### बेकाबू कार नाले में गिरने से युवक की मौत

**पलवल।** हथीन मोड़ पर बुधवार देर रात एक कार अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक घायल हो गया। मृतक की पहचान गांव गेलपुर निवासी कुलदीप के रूप में हुई। हादसे के वक्त कुलदीप और उसका साथी हथीन की तरफ से अपने गांव लौट रहे थे। पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है।

### पति से झगड़ा होने पर पत्नी ने जान दी

**ग्रेटर नोएडा।** जेवर क्षेत्र में पति से झगड़ा होने पर नाराज महिला ने जहर खाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि घर में बारिश का पानी टपकने को लेकर महिला का पति से झगड़ा हुआ था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थोरा गांव में अंकित परिवार के साथ रहते हैं। अंकित की पत्नी छत टपकने से नाराज थी। गुरुवार को बारिश में फिर झगड़ा हुआ और पिंकी ने जहर खा लिया।

# बिल्डर और कंपनी मालिकों पर गिरफ्तारी की तलवार

**ग्रेटर नोएडा, प्रमुख संवाददाता।** दादरी के दतावली गांव में अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड और उत्तम स्टील्स एंड एसोसिएट्स के मालिकों की गिरफ्तारी की तैयारी है। जिला प्रशासन ने गुरुवार को उनके कार्यालयों पर मुनादी कराई।

यूपी रेरा का 77.58 करोड़ बकाया चुकाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। गिरफ्तारी वारंट जारी करने की चेतावनी दी। इससे पूर्व उनकी 1.66 लाख वर्ग मीटर जमीन को कुर्क किया जा चुका है। प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा और यूलंदेशहर जिले की 1660 एकड़ जमीन पर सुशांत मेगापोलिस ग्रीन हाईटेक सिटी परियोजना निर्माणाधीन है। परियोजना उत्तम स्टील एंड एसोसिएट्स कंपनी के नाम है। जबकि अंसल हाईटेक टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड इसको बना रहा है।

दोनों कंपनी अंसल ग्रुप की हैं। परियोजना पूरी न होने के कारण खरीदार यूपी रेरा में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। रेरा बिल्डर के खिलाफ आरसी जारी कर रहा। दादरी तहसील के पास दो कंपनी के नाम से 370 आरसी लंबित हैं, जो करीब 77 करोड़ की हैं।

**अन्य कंपनियों की जांच**

अफसरों ने बताया कि अंसल हाईटेक और उत्तम स्टील एंड एसोसिएट्स कंपनी के सभी निदेशकों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। इनमें से कोई अन्य भी कंपनी में डायरेक्टर है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गौतमबुद्ध नगर के छह गांवों में अंसल ग्रुप के प्रोजेक्ट हैं।

# एम्स के सेटेलाइट सेंटर पर संशय

**ट्रांस हिंडन।** वसुंधरा सेक्टर-7 में प्रस्तावित एम्स के सेटेलाइट सेंटर के निर्माण को लेकर संशय गहरा गया है। कुछ दिन पहले चर्चा थी कि इसकी जगह बदल सकती है। अब आवास एवं विकास परिषद ने संशोधित लेआउट में चिह्नित जगह को खाली दिखाया है।

लेआउट में सेंटर का जिक्र ही नहीं किया गया है। वहीं, इस मामले में स्थानीय अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब दो साल पहले गाजियाबाद में एम्स का सेटेलाइट सेंटर बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए एम्स दिल्ली की टीम ने वसुंधरा, मंडोला विहार और सिद्धार्थ विहार में जमीन देखने के बाद वसुंधरा सेक्टर-7 में 10 एकड़ जमीन को चुना था। अधीक्षण अभियंता अजय कुमार मित्तल का कहना है कि सेटेलाइट सेंटर को लेकर मुख्यालय से ही फैसला होगा। इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता।

# कैंटीन संचालक की दोस्तों ने जान ली

**दर्दनाक 1**

- व्यापारिक विवाद में हत्या को अंजाम दिया
- इंदिरापुरम इलाके में गोली मारकर भागे

**ट्रांस हिंडन, संवाददाता।** इंदिरापुरम थानाक्षेत्र में हिंडन-कनावनी मार्ग पर बुधवार देर रात गुरुग्राम के कैंटीन संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके दोस्त ने पुलिस को सूचना दी कि बाइक सवार दो बदमाश गोली मारकर भाग गए।

संदेह होने पर पुलिस ने दोस्त से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि व्यापारिक विवाद में उसने ही दो साथियों संग मिलकर हत्या को अंजाम दिया। पुलिस दोनों साथियों को तलाश रही है। सहायक पुलिस आयुक्त सूर्यबली मौर्य ने बताया कि बुधवार रात लगभग एक बजे गुरुग्राम के 12 बिस्वा निवासी विजय ने पुलिस को सूचना दी कि हिंडन-कनावनी मार्ग पर दो बदमाशों ने गुरुग्राम सेक्टर-11 में लक्ष्मी गार्डन निवासी उसके दोस्त 35 वर्षीय अमित सैनी को गोली मार दी।

मौके पर पहुंचकर पुलिस ने छानबीन की तो विजय ने बताया कि उसकी गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में कैंटीन है। अमित भी यहां दूसरी कैंटीन चलाता है। बुधवार रात अमित ने कहा था कि उसे गाजियाबाद में किसी से रुपये लेने हैं। विजय के मुताबिक वह अमित को कार से लेकर गाजियाबाद आया था। कनावनी-हिंडन मार्ग पर वह लघुशंका के लिए गया, इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश आए और अमित को पनप्वाइंट पर ले लिया। विरोध पर दोनों कार की पिछली सीट की ओर आए और पीछे से अमित के सिर में गोली मारकर फरार हो गए।

### युवती की हत्या कर शव खेत में फेंका

**गाजियाबाद।** वेव सिटी थानाक्षेत्र के काजीपुरा गांव में गुरुवार सुबह एक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। युवती का खून से लथपथ शव खेत के बीच पड़ा मिला। घटनास्थल तक घसीटने के निशान और टूटी हुई फसल मिलने से पुलिस को आशंका है कि हत्या कहीं और करने के बाद शव को खेत में लाकर फेंका गया।

**2**

काजीपुरा गांव के किसान ने सुबह खेत में 25 वर्षीय युवती का शव पड़ा देखा। शव खून से लथपथ था और युवती का गला किसी धारदार हथियार से रेता गया था। सूचना मिलते ही वेव सिटी पुलिस, एसीपी, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड ने मौके पर पहुंच घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।

pnb पंजाब नैशनल बैंक .....भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
punjab national bank ...the name you can BANK upon!

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा दक्षिण दिल्ली
4वां तल, 7, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली–110066 ईमेल: cs4168@pnb.bank.in

## अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी हेतु बिक्री सूचना

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस,**
आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का सांकेतिक / वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

| क्र. सं. | शाखा का नाम: / खाते का नाम: / उधारकर्ता/गारंटर/ खाते का नाम और पता: | बंधक रखी गई अचल संपत्ति का विवरण/ मालिक का नाम (संपत्तियों का बंधककर्ता) | (E) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि (F) एनपीए की तिथि तक बकाया राशि (G) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि (H) कब्जा की स्थिति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक | (A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि | नीलामी की तिथि एवं समय | सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण | प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं नं. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | शाखा: कोटला मुबारकपुर (153600)<br>मैसर्स साई फूड केटरी हाऊस<br>खाता नंबर 1536008700001456, 153600ILO00000093, 016200JH00000458,<br>पता: दुकान नं. 6, एच 39–40 सुभाष मार्केट, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली, 110003, और श्री विनोद कुमार, ए–26, अमृत नगर, साउथ एक्सटेंशन पार्ट I, नई दिल्ली–110003<br>और श्री राहुल कुमार, ए–26, अमृत नगर, साउथ एक्सटेंशन पार्ट I, नई दिल्ली–110003,<br>और श्री तनुज कुमार, ए–26, अमृत नगर, साउथ एक्सटेंशन पार्ट I, नई दिल्ली–110003, श्रीमती पूनम पत्नी श्री विनोद कुमार (बंधककर्ता), 127, अली गंज कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली | साम्पिक बंधक सम्पत्ति प्राइवेट दुकान नं. 6, क्षेत्रफल 150 वर्ग फीट, (लगभग 15 वर्ग मीटर) और सूख सुविधा के साथ, संपत्ति सं. एच–39–40 (ओल्ड नं. एच–93/बी) पर सरमन कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। एमसीडी नं. 366, खसरा नं. 627/12 में से, सुभाष मार्केट कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली –110003 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती पूनम पत्नी श्री विनोद कुमार के नाम पर है। | E) 26.10.2021<br>F)Rs.64.56 लाख<br>G) 02.06.2022<br>H) भौतिक | A) रु. 26.00 लाख<br>B) रु. 2.60 लाख<br>C) रु. 50,000/- | 13.08.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपरांह 04.00 बजे | संपत्ति की बिक्री पर कोई एसए लंबित/रोक नहीं है | श्री ओम प्रकाश भालोटिया 9453035426 |
| 2. | शाखा: हौज खास (056210)<br>मैसर्स कंवाईके ट्रेडर्स खाता नं. 056210IB00000038, 056210IB00000047, 05624011000467, 05627121000020<br>पता:– कंवाईके ट्रेडर्स मकान, प्रोपराइटर अनिल गोयल, नं. 116, खसरा नं. 116, पहली मंजिल, शिव मंदिर, गांव अलीपुर, दिल्ली 36 और: शिव चरण पुत्र बिशंबर दयाल (गारंटर) प्लॉट नं. 9, खसरा नं. 349/2, प्रथम तल, गली नं. 01, पंजाबी कॉलोनी, मामूर पुर, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली 110040 और: शिव चरण पुत्र बिशंबर दयाल (गारंटर) सर्विस अपार्टमेंट नं. 903 और 903ए, थ्थी मंजिल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होटल रेडिशन ब्लू, प्लॉट नं. 04, द्वारका सिटी सेंटर सेक्टर 13, द्वारका नई दिल्ली–110078 और: अनिल गोयल प्रोपराइटर कंवाईके ट्रेडर्स, गोयल कम्युनिकेशंस शिवपावसी रोड, दिल्ली–110036, और: शिव चरण पुत्र बिशंबर दयाल (गारंटर) मेट्रो पिलर नं. 415 416 के पास, जे 206ए राजौरी गार्डन, टैगोर गार्डन पश्चिम दिल्ली नई दिल्ली 110035<br>और: शिव चरण पुत्र बिशंबर दयाल (गारंटर) 2015, 5एनएआई बस्ती बवाना रोड, नरेला दिल्ली–110040 और: शिव चरण पुत्र बिशंबर दयाल (गारंटर) 512, जी ब्लॉक, गली नंबर 10, आर पब्लिक स्कूल के पास, पंजाबी कॉलोनी, नरेला, दिल्ली –110040<br>और: शिव चरण पुत्र बिशंबर दयाल (गारंटर 52/3 रेलवे क्रॉसिंग के पास अलीपुर रोड, होलंबी खुर्द दिल्ली 110082 और: अनिल गोयल प्रोपराइटर कंवाईके ट्रेडर्स, 834/23, कृष्ण पुरा, पानीपत हरियाणा 132103<br>और: शिव चरण पुत्र शिशम्बर दयाल (गारंटर) 241–242, जीटी करनाल रोड, बकोली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली –110036 | वाणिज्यिक संपत्ति सर्विस अपार्टमेंट नं. 903 और 903 ए, थ्वीं मंजिल, जिसका निर्मित क्षेत्रफल 68.56 वर्ग मी. है, बिना छत/टैरेस अधिकार के और वाणिज्यिक परिसर और होटल रेडिसन ब्लू, प्लॉट नं. 4, द्वारका सिटी सेंटर, सेक्टर –13, द्वारका नई दिल्ली–110078 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री शिव चरण के नाम पर है। | E) 27.01.2022<br>F) Rs.472.27 लाख+अतिरिक्त ब्याज<br>G) 21.07.2022<br>H) भौतिक | A) रु. 147.00 लाख<br>B) रु. 14.70 लाख<br>C) रु. 1,00,000/- | 13.08.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपरांह 04.00 बजे | संपत्ति की बिक्री पर कोई एसए लंबित/रोक नहीं है<br>होटल ने इस प्रॉपर्टी के लिए 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के मेंटेनेंस और अन्य चार्ज का दावा किया है। | श्री ओम प्रकाश भालोटिया 9453035426 |
| 3. | पीएनबी शाखा हौज खास (056210), नई दिल्ली।<br>उमा देवी गोयल<br>खाता संख्या: 05627011000567 पता: संपत्ति संख्या 114, पॉकेट संख्या 01, ब्लॉक संख्या– जी, सेक्टर–16, रोहिणी, नई दिल्ली–110085<br>इसके अलावा: श्रीमती उमा देवी गोयल (ऋणकर्ता) जी–1/114, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली पिनकोड–110085 इसके अलावा: श्री प्रमोद कुमार गोयल (सह–ऋणकर्ता और गारंटर) जी–1/114, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली पिनकोड–110085 इसके अलावा: श्री अमन गोयल (सह–ऋणकर्ता) जी–1/114, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली पिनकोड–110085 इसके अलावा: सुश्री दिव्या गोयल (सह–ऋणदाता) जी–1/114, सेक्टर–16 रोहिणी, दिल्ली पिनकोड–110085 | प्रमोद कुमार गोयल के नाम पर संपत्ति संख्या 114, क्षेत्रफल 25.9 वर्ग मीटर, पॉकेट संख्या 01, ब्लॉक संख्या– जी, सेक्टर– 16, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 का साम्पिक बंधक। | E) 20.11.2024<br>F) रु. 49.56 लाख + ब्याज एवं खर्चे<br>G) 10.02.2025<br>H) सांकेतिक | A) रु. 66.30 लाख<br>B) रु. 6.63 लाख<br>C) रु. 50,000 | 13.08.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपरांह 04.00 बजे | एसए लंबित है लेकिन संपत्ति की बिक्री पर कोई रोक नहीं है। | श्री. सुनील कुमार दास 9437322902 |
| 4. | शाखा महिपालपुर (002910), नई दिल्ली।<br>उमा देवी गोयल।<br>खाता संख्या: 0029601100053 पता: मकान संख्या 18 और 19, तीसरी मंजिल, छत के अधिकार रहित, ब्लॉक ए– पॉकेट–2, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली–110085<br>इसके अलावा: श्रीमती उमा देवी गोयल (ऋणकर्ता) जी–1/114, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली, पिनकोड–110085<br>इसके अलावा: श्री प्रमोद कुमार गोयल (सह–ऋणकर्ता) जी–1/114, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली, पिनकोड–110085। इसके अलावा: श्री अनन गोयल (सह–ऋणकर्ता) जी–1/114, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली, पिनकोड–110085।<br>इसके अलावा: सुश्री दिव्या गोयल (सह–ऋणदाता) जी–1/114, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली, पिनकोड–110085 | मकान संख्या 18 और 19, तीसरी मंजिल, छत के अधिकार सहित, ब्लॉक ए–पॉकेट–2, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली–110085 में स्थित आवासीय मकान का साम्पिक बंधक, जिसका क्षेत्रफल 930 वर्ग फुट (आच्छादित क्षेत्र 86.40 वर्ग मीटर) है और जो श्री प्रमोद कुमार गोयल की पत्नी के नाम पर है। | E) 20.11.2024<br>F) रु. 51.77 लाख + ब्याज एवं खर्चे<br>G) 10.02.2025<br>H) सांकेतिक | A) रु. 114.75 लाख<br>B) रु. 11.47 लाख<br>C) रु. 1,00,000 | 13.08.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपरांह 04.00 बजे | एसए लंबित है लेकिन संपत्ति की बिक्री पर कोई रोक नहीं है। | श्री. सुनील कुमार दास 9437322902 |

**ई–नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें :** बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। 1. नीलामी बिक्री 'ई–नीलामी' पोर्टल https://baanknet.com के माध्यम से ऑनलाइन होगी। (2) ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (https://baanknet.com) ई–नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट 1, तीसरी मंजिल, VIOS कमर्शियल टॉवर, वडाला ट्रक टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई–400037 (हेल्पडेस्क नं. 91 8291220220, ईमेल आईडी support.ebkray@psballiance.com) द्वारा प्रदान किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को ई–नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://baanknet.com पर ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। (3) बिक्री की सामान्य शर्तों और नियमों से युक्त बिक्री नोटिस निम्नलिखित वेबसाइटों/वेब पेज पोर्टल (1) https://baanknet.com (2) www.pnbindia.in पर उपलब्ध/प्रकाशित है। (4) सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री प्रतिफल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–1ए के अंतर्गत टीडीएस के अधीन होगा तथा सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि का शेष 75% जमा करने/बोली राशि की पूर्ण जमा करने के समय ही टीडीएस का भुगतान किया जाना है। (5) संपत्तियों को "जहां है जैसी है" और "जो है जैसी है" तथा "जो भी है जैसी है" के आधार पर बेचा जा रहा है। (6) उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (7) सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत नोटिस, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ के सभी मामलों में जारी किया गया है, (8) बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com & www.pnbindia.in देखें।

दिनांक : 23.07.2026, स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक